राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1941/2013/उदयपुर

मैसर्स चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी,
हिरण मगरी, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर।
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   वार्ड–चतुर्थ, वृत्त–बी, उदयपुर। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/05/2014

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर के प्रकरण संख्या 84/13–14/कर/उपा(प्र)उदय अन्तर्गत धारा 34 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 04.10.2013 के विरूद्ध धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत्त–बी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 13.03.2009 को अपीलार्थी व्यवसायी का कर निर्धारण वर्ष 2006–07 को एकतरफा आदेश पारित करते हुए व्यवसायी के विरूद्ध मांग रूपये 2,25,000/– आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस एकतरफा आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के समक्ष धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर ने आदेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा व्यवसायी का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.2009 की पेशी का सूचना पत्र जारी किया जो व्यवसायी को तामील नहीं हुआ। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा भी बिना किसी आधार के अपीलार्थी व्यवसायी के आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया । अतः कर निर्धारण अधिकारी के एकतरफा आदेश को तथा उपायुक्त (प्रशासन) के आदेश को अपास्त कर प्रकरण पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को आदेश देने के लिए निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अभिभाषक ने व्यवसायी के अभिभाषक के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को नोटिस जारी किया है। नोटिस की सूचना के बाद भी व्यवसायी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और न ही कोई स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया है चूंकि प्रकरण अवधिपार होने जा रहा था अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेक से एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो उचित है। अतः अपील अस्वीकार की जाए।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं रेकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् यह एकलपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.2009 को अपीलार्थी व्यवसायी के कर निर्धारण वर्ष 2006–07 में आदेश पारित करते हुए व्यवसायी के विरूद्ध उपरोक्त मांग आरोपित कर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के समक्ष धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर ने आदेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थी व्यवसायी का यह कहना है कि दिनांक 13.03.2009 की पेशी का सूचना पत्र दिनांक 20.02.2009 को जारी किया जो सूचना पत्र जारी हुआ वह अपीलार्थी व्यवहारी को तामील नहीं हुआ है। जिसके कारण वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण हेतु उपस्थित नहीं हो सका। यह एक समुचित कारण है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। अतः यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करे।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवसायी की अपील स्वीकार कर प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलार्थी व्यवसायी को भी यह निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 13.06.2014 को अपना पक्ष रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया।

9-5-14

(अमर सिंह)
सदस्य